



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012021-224579
CG-DL-E-20012021-224579

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2021/पौष 30, 1942

No. 257]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021/PAUSHA 30, 1942

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2021

का.आ. 278(अ).—केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

प्राधिकारी का नाम और पता (1)	अधिकारिता का क्षेत्र (2)
डॉ राम प्रकाश तिवारी सेवा निवृत्त अपर कलेक्टर, उज्जैन, मध्य प्रदेश सक्षम प्राधिकारी, आई एच बी प्राइवेट लिमिटेड,	मध्य प्रदेश

**कांडला गोरखपुर एल पी जी पाइपलाइन परियोजना,
इंदौर (मध्य प्रदेश)**

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025(15)/1/2020-ओ आर-I/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2021

S.O. 278(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the “Competent Authority” under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said Schedule:

SCHEDULE

Name and Address of the Authority (1)	Area of jurisdiction (2)
Dr. Ram Prakash Tiwari, Retired Additional Collector, Ujjain, Madhya Pradesh Competent Authority, IHB Private Limited, Kandla - Gorakhpur LPG Pipeline Project, Indore (Madhya Pradesh)	State of Madhya Pradesh

This notification is applicable from the date of issue.

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.